न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 10/2021 GCMS NO 2021/101
दायरा तिथि : 22.06.2021
आदेश तिथि : 28.12.2021

प्रार्थी :–

भरतकुमारसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति राजपुत
निवासी जोधपुर हाल बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 28.12.2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 35/9 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 35 रकबा 8.4880 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडाई में नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1681 दिनांक 23.09.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 35/9 रकबा 0.3000 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड की खातेदारी भूमि श्री गेट लक्स प्राइवेट लिमिटेड उम्मेद हैरिटेज डिफेन्स लैब रोड रातानाडा जोधपुर जरिये भरत कुमारसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी मथानिया जिला जोधपुर के नाम दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य मार्ग वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	35	8.4880 हैक्टर	गै.मु. पहाड	7X 70= 490 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम की डी.एल.सी. दर 254520/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नंबर 35 में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 35/9 में वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी आवेदित खसरा नंबर 35 से ही आना जाना करता है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग औचित हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार.............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 10/2021 GCMS NO 2021/101
अनवान भरतकुमारसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 35/9 रकबा 0.3000 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड की भूमि में आवागमन हेतु **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम** के खसरा नंबर 35 रकबा 8.4880 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड मेंसे कुल **490** वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 254520/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
35	8.4880	7X70= 490 वर्गमीटर	25.45	**12471 X2=24942**	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **24942/– (अक्षरे चौबीस हजार नौ सौ बयालीस मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 28.12.2021
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

क्रमॉक/कोर्ट/2021/ 3089-93
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः– 28-12-2021

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा चक प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री भरतकुमारसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी जोधपुर हाल बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी जिला - पाली (राज.)